28/8/24 पत्रावली पेश हुई। पक्षकार अनुपस्थित। अपीलार्थी व अपीलार्थी को आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं आया। अदालत समाप्ति से पूर्व पुनः आवाज लगवाई गई। कोई उपस्थित नहीं आया। अतः पत्रावली अदम हाजरी / अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली कैलाश कुमार बी नाकर नम्बर से कम की जाके बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

अतिरिक्त कलक्टर
शाहाबाद जिला बारां